प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **18-09-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1 एक राय होकर घातक हथियारों से हमला करने का 01 आरोपी को थाना मझोला पुलिस ने किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है दिनांक 22.08.2025 को वादी जहीर खान पुत्र शब्बीर अहमद निवासी जयन्तीपुर कचौधन रोड थाना मझोला ने अभियुक्तगण द्वारा घातक आयुध से सुसज्जित होकर, एक राय होकर वादी के भाई के घर में घुसकर वादी के भाई पर जान से मारने की नियत से हमला करते हुये गाली गलौच कर मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मु0अ0सं0-780/25 धारा-115(2),131,109(1),190,191(2),191(3),333,351(2),352 बी0एन0एस0 बनाम इमरान आदि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.09.2025 को उ0नि0 श्री प्रबोध कुमार थाना मझोला द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी **इमरान पुत्र सरफराज निवासी जयन्तीपुर मीना नगर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद** को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपीः-

इमरान पुत्र सरफराज निवासी जयन्तीपुर मीना नगर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-780/25 धारा-115(2),131,109(1),190, 191(2),191(3),333,351(2),352 बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री प्रबोध कुमार,

2. हे0का0 जयप्रकाश सिंह,

3.का0 रविन्द्र कुमार, थाना मझोला।

2- छेड़छाड व अश्लील हरकतें करने का आरोपी गिरफ्तार,थाना मझोला:-

अवगत कराना है दिनांक 16.09.2025 को वादी निवासी थाना मझोला क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेडछाड करने व रास्ते में अश्लील हरकते करने तथा मोबाइल से फोटो खींचकर वायरल कर देने आदि के संबंध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मु0अ0सं0-886/25 धारा-74,75(1)(i) बीएनएस -2023 व धारा 67ए आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.09.2025 को निरीक्षक अपराध श्री जयप्रकाश थाना मझोला द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी अरूण पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर सुनवाती थाना मझोला जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

अरूण पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर सुनवाती थाना मझोला जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0-886/25 धारा-74,75(1)(i) बीएनएस -2023 व धारा 67ए आई0टी0 एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

निरीक्षक अपराध श्री जयप्रकाश

कांस्टेबल दीपक कुमार,

का0 कुलदीप कुमार, थाना मझोला, मुरादाबाद

3- गाली-गलौच, मारपीट व जान से मारने की नियत से फायर कर, धमकी देने के आरोपी को थाना बिलारी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बरामद किया गया:-

अवगत कराना है कि दिनांक 17.09.2025 को वादी ऋतिक पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी मोहल्ला कोरियन कस्बा व थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा वादी एवं उसके पिता के साथ मारपीट करना जान से करने की नियत से तमंचे से फायर करना एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 440/2025 धारा- 115(2),351(2),352 बीएनएस बनाम नानू उर्फ़ विपिन के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.09.2025 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा अभियुक्त नानू उर्फ़ विपिन पुत्र कमलेश निवासी मोहल्ला कोरियन कस्बा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध 01 तमंचा मय खोखा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

नानू उर्फ़ विपिन पुत्र कमलेश निवासी मोहल्ला कोरियन कस्बा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 440/2025 धारा- 115(2),351(2),352 बीएनएस

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

उ0नि0 श्री अमित कुमार

कांस्टेबल धर्मेन्द्र कुमार,

कांस्टेबल अरविन्द कुमार, थाना बिलारी, मुरादाबाद

4- थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा गौकशी के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। -

अवगत कराना है कि दिनांक 25.07.2025 को थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तों द्वारा गौकशी की घटना कारित की गई। जिस सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-310/25, धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.09.2025 को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त जरीफ मलिक पुत्र रहीश अहमद निवासी ग्राम किशनपुर गांवडी थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

जरीफ मलिक पुत्र रहीश अहमद निवासी ग्राम किशनपुर गांवडी थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-310/25, धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार
कांस्टेबल सचिन कुमार,
कांस्टेबल दिनेश , थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद

5-जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी तथा शांति व्यवस्था भंग करने में 19 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी तथा 19 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

वारंटीः-

थाना नागफनी-03, थाना मझोला-01, थाना ठाकुरद्वारा-02, थाना डिलारी-02,

शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरणः-

थाना पाकबड़ा-06, थाना सिविल लाइंस-06,थाना बिलारी-03, थाना सोनकपुर-02, थाना मैनाठेर-01, थाना भोजपुर-01,